Statesman, Delhi, 10/05/2026
Page No: 10, Size: 11.09cm × 6.24cm

BPCL stresses strategic Importance of Mozambique LNG Project; reaffirms commitment to global energy security

Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL), a Fortune Global 500 company and a Maharatna PSU, has highlighted the continued progress of the Mozambique LNG project, reinforcing the importance of diversified global energy sources in ensuring long-term energy security.BPCL, through its step-down subsidiary of its wholly owned subsidiary Bharat Petro Resources Limited (BPRL), holds a 10% participating interest in the Offshore Area 1 Concession in Mozambique. The concession is operated by total energies.

Navbharat Times, Delhi, 10/05/2026

Page No: 4, Size: 31.27cm × 24.77cm

PNG है तो LPG भूल जाएं! क्या मिला ये मेसेज?

■ NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली

एलपीजी और पीएनजी दोनों में से अब एक ही कनेक्शन घर पर रखने को लेकर लोगों को अलर्ट मेसेज मिल रहे हैं। इसके बाद लोग कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। लोगों को 30 जून तक स्वेच्छा से नियमों का पालन करने का समय दिया गया है। लोगों का कहना है कि आमतौर पर घर में पीएनजी इस्तेमाल होती है, लेकिन सप्लाई में रुकावट आने पर वे एलपीजी सिलिंडर का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में कनेक्शन का फैसला खपत और बुकिंग के आधार पर होना चाहिए। लोगों में इसे लेकर भी संशय है कि चौथे और पांचवें फ्लोर की छत पर बने कमरों का क्या होगा। यहां उपभोक्ताओं को पीएनजी कनेक्शन नहीं दिए जाते, क्योंकि नियमानुसार छत पर बने कमरे में रसोई नहीं बनाई जा सकती।

NBT 3 मिनट में पढ़ें

14 मार्च को पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि एक घर में एलपीजी और पीएनजी दोनों कनेक्शन रखना अवैध होगा। ज्यादातर कॉलोनियों में लोगों ने बिल्डर फ्लैट्स बनाए हुए हैं। इनमें छत पर कुछ हिस्से में निर्माण की मंजूरी होती है, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ स्टोरेज आदि के लिए किया जा सकता है। हालांकि, ज्यादातर जगहों पर लोग इन्हें किराये पर दे रहे हैं। ऐसे निर्माण में पीएनजी कनेक्शन नहीं मिलते।

साल 2023 में दिल्ली रेरा ने भी ऐसे निर्माण को लेकर चेतावनी दी थी। रेरा ने सभी एजेंसियों से कहा था कि फ्लैट्स को एनओसी देते समय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन किया जाए। रेरा ने कहा था कि 200 गज की जगह पर लोग 20 फ्लैट्स बना रहे हैं, जबकि नियमों के अनुसार इतनी जगह में सिर्फ चार फ्लैट्स बन सकते हैं। बिल्डर हर फ्लोर पर एक बड़ा फ्लैट बनाते हैं और उसमें एक पैंट्री दिखाकर नक्शा पास करवाते हैं। बाद में उसे मॉडिफाई कर मनमाने फ्लैट्स बनाकर बेच दिए जाते हैं।

34,40,377
पीएनजी घरेलू उपभोक्ता दिल्ली में मार्च 2026 तक

2,59,054
पीएमयूवाई कनेक्शन 1 अगस्त 2025 तक

43,000
से अधिक देश में एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करने वाले उपभोक्ता

बिल्डर फ्लैट्स में रहने वाले सावधान! छत पर बनी 'अवैध' रसोई छीन सकती है आपका गैस कनेक्शन

NBT संडे स्पेशल

एक घर, एक कनेक्शन

गैस की किल्लत खत्म करने के लिए सरकार ने एक घर, एक गैस कनेक्शन नियम लागू किया है। जिन इलाकों में पीएनजी लाइन बिछ चुकी है, वहां अब एलपीजी का इस्तेमाल बंद करना होगा। अगर पीएनजी कनेक्शन है, तो आप न नया सिलिंडर ले सकते हैं और न ही पुराने सिलिंडर की रीफिलिंग करा सकते हैं।

30 जून तक का समय

आईजीएल से मिली जानकारी के अनुसार, पाइपलाइन बिछाने और कनेक्शन स्विच करने के लिए 30 जून तक का वक्त दिया गया है। नैशनल पीएनजी ड्राइव 2.0 को भी इसी तारीख तक बढ़ाया गया है। इसका मतलब है कि अगर पाइपलाइन की सुविधा उपलब्ध है, तो आपको जल्द से जल्द स्विच करना होगा, वरना आपका सिलिंडर कनेक्शन बंद किया जा सकता है।

कहां है एक से ज्यादा गैस कनेक्शन मौजूद? कैसे हो रही है पहचान

तेल कंपनियां डेटा के जरिए उन एड्रेस की पहचान कर रही है, जहां एक से ज्यादा गैस कनेक्शन मौजूद है। ऐसे मामलो में उपभोक्ताओं को दोबारा ई-केवाईसी और एड्रेस वेरिफिकेशन करवाना पड़ सकता है।

जिन परिवारो मे एक ही पते पर कई गैस कनेक्शन हैं, उन्हे आपसी सहमति से तय करना पड़ सकता है कि कनेक्शन किस सदस्य के नाम रखा जाएगा। बाकी कनेक्शन सरेंडर करने होंगे। किरायेदारो और मल्टीस्टोरी बिल्डिंग में रहने वाले अलग-अलग परिवारो को राहत दी जा सकती है। अगर अलग मंजिल पर अलग रसोई के साथ परिवार रह रहा है, तो संबंधित डॉक्युमेंट्स जैसे रेंट एग्रीमेंट और लोकल एड्रेस प्रूफ दिखाकर उनका कनेक्शन जारी रखा जा सकता है।

गैस कंपनियो के अनुसार, अगर कोई उपभोक्ता अतिरिक्त कनेक्शन खुद से सरेंडर नही करता और जांच में पकड़ा जाता है, तो गैस कंपनियां बिना नोटिस के गैस सप्लाई बंद कर सकती हैं। साथ ही सब्सिडी भी रोकी जा सकती है।